न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एंव आवासन विभाग, राज0जयपुर
॥ हॉल कार्यालय राज0आवासन मण्डल, जयपुर ॥

क्रमांक-:ओ0एस0डी0/नविआ/91/ 2198 दिनांक-: 28-6-91

वाद संख्या :- 18/89/1
18/89/2
18/89/3
18/89/4
18/89/5
18/89/6
18/89/7
18/89/8
18/89/9
18/89/10
18/89/11
18/89/12
18/89/13
18/89/14
18/89/15
18/89/16
18/89/17
18/89/18
18/89/19
18/89/20
18/89/21
18/89/26

विषय:- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवासीय कॉलोनी बनाने हेतु अवाप्ति के अधीन भूमि का अवार्ड योजना ईश्हाक पुरा, निम्बाहेडा की उपरोक्त वादों की कुल भूमि 157 बीघा 15 बिस्वा ।

===

पीठासीन अधिकारी:- 1. श्री जेठमल व्यास, विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एंव आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

पक्षकारान् :- 1. भूमि से संबंधित एंव उनकी ओर से वकील श्री के0पी0 शारदा ।

2. राजस्थान आवासन मण्डल के जरिये श्री पी0सी0 अग्रवाल सचिव, राज0आ0म0 श्री सी0एम0वर्मा, तहसीलदार, राज0 आ0मण्डल एंव श्री जे0के0 सिन्धी, एडवोकेट ।

32

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सत्यमेव जयते जयपुर

1. राज्य सरकार के नगरीय विकास एंव आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर की और सें राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय कॉलोनी निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प07/4/नविआ/3/86 जयपुर दिनांक 25-10-88 को राजस्थान राजपत्र भाग 6॥ख॥ फरवरी 9, 1989 में केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4 ॥1॥॥2॥ के अन्तर्गत प्रकाशित की गई।

2. तत्पश्चात् भूमि अवाप्ति की अतिशीघ्र आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 17 की उप धारा ॥4॥ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर उक्त अधिनियम की धारा 5-ए- के प्रावधान उक्त भूमि पर लागू नही करतें हुए राज्य सरकार द्वारा धारा 17 ॥4॥ सपंठित धारा 6 के अग्रेतर अनुसरण में विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एंव आवासन विभाग, कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल मुख्यालय, जयपुर को विज्ञप्ति दिनांक 20-7-89 द्वारा निर्देश दिये की धारा 17॥4॥ के अग्रेतर अनुसरण मे धारा 9 की उपधारा ॥1॥ में उल्लेखित नोटिस के प्रकाशनसे 15 दिवस कीसमाप्ति पर उक्त भूमि का कब्जा लिया जायें। तत्पश्चात् केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 9॥1॥ के अन्तर्गत पब्लिक नोटिस इस भूमि को अवाप्त किये जाने एवम् कब्जा लियें जानें के राज्य सरकार के इरादें को व्यक्त करते हुए दिनांक 15.11.89 कों समस्त हितबद्ध व्यक्तियों के प्रयोजनार्थ अवाप्ति अधीन भूमि एवम् उसकें आसपास के सार्वजनिक स्थलों के लिए प्रकाशित किये गयें एवम् इन स्थानों पर चस्पा करायें गयें। तत्पश्चात् मौकें पर जाकर दिनांक 26.12.89 को उपरोक्त वादों की अवाप्ति अधीन भूमि का कब्जा प्राप्त किया एंव उसी दिन आवासन मण्डल के परियोजना अभियंता कों मौकें पर सम्भलाया गया।

3. केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 9॥3॥ के अन्तर्गत खातेदारों को अपने अपनें क्लेम पेश करने के लिए नोटिस जारी कर तामील करवायें गयें। प्रत्युत्तर मे वाद संख्या 18/89/1, 18/89/2, 18/89/3, 18/89/4, 18/89/5, 18/89/7, 18/89/8, 18/89/9, 18/89/10, 18/89/12, 18/89/13, 18/89/14, 18/89/17 में खातेदारों ने अपने क्लेम पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गयें। वाद संख्या - 18/89/6, 18/89/11, 18/89/15, 18/89/16, 18/89/18, 18/89/19, 18/89/20, 18/89/21, 18/89/26 में कोई क्लेम पेश नही किये गयें अत: इन मामलों में एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

4. राज्य सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक प07/नविआ/ग्रुप-3/86 दि. 2-3-90 द्वारा खसरा नं. 241, 242, 243/271 कुल भूमि 14 बीघा 2 बिस्वा कों अवाप्ति से मुक्त कर दिये जानें से यह भूमि वार्ड में शामिल नही की जा रहीं हैं। खातेदारों द्वारा क्लेम पेश करनें के पश्चात् अवाप्ति अधीन भूमि का मौका देखा गया एंव निम्बाहेडा मुकाम पर उनकें क्लेम की सुनवाई की गई। दस्तावेज, रजिस्ट्री आदि जों पेश किये गयें है शामिल पत्रावली किये गयें। आवासन मण्डल की ओर सें खातेदारों के क्लेम के जवाब भी पेश किये गयें। खातेदारों द्वारा मुख्य रूप से अपनें क्लेम में बताया गया है कि भूमि निम्बाहेडा के नगरपालिका क्षेत्र में हैं और उसकी आबादी के उपयोग के लिए इसकी उपयुक्तता को देखते हुए 1,00,000/- रूप्रति बीघा से मुआवजा दिया जावें। पेडों, कुए एवम् मकानात पत्थार कें कोट आदि की बाजार कीमत दिलाई जावें। बाजार भाव के समर्थन मेंउनकी और से श्री कें०पी० शारदा, वकील द्वारा एक विक्रय पत्र हुकमीचंद, औंकार, रामेश्वरलाल, शिवदयाल, सत्य-

26
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

नारायण की ओर से भेरूलाल वगैरह के पक्ष में 3 बीघा 11 बिस्वा खसरा नं. 116[illegible] निम्बाहेडा के जो 3 लाख 30 हजार रू0 में विक्रय की गई हैं । यह रजिस्ट्री दिनांक 7-9-88 की हैं । रामेश्वरलाल, रूपलाल के दों शपथ-पत्र भी पेश किये गयें कि यह नगरपालिका सीमा में स्थित भूमि हैं जों चित्तौड बाई पास रोड पर हैं । एवं दिनांक 7-9-88 को 3 लाख 30 हजार रुपयें भेरूलाल, किशोरकुमार वगैरह को इसका बेचान किया गया हैं । इसकी कीमत 1,00,000/-रू0 प्रति बीघा से किसी प्रकार कम नहीं हैं । इसी प्रकार एक रजिस्ट्री रामूबाई धर्मपत्नी किशन दास बैरागी द्वारा खसरा नं. 237 रकबा 6 बीघा 03 बिस्वा में से 1/24 हिस्सा अर्थात लगभग-5 बिस्वा भूमि 20,000/-रू0 में दिनांक 6-12-88 को बेचान की गई है । एक अन्य रजिस्ट्री नन्दूबाई बेवा ओंकार जी तेली व रूपलाल आदि ने खसरा नं. 125 जो 3 बीघा का 1/6 हिस्सा 60,000/-रू0 में दिनांक 15-3-89 को बेचान करने की है । यह रजिस्ट्री क्रमांक 1966 हैं । एक अन्य रजिस्ट्री दिनांक 2-6-89 की हैं, जिसमें 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि 1,51,000/-रू0 में विक्रय करने के बारें में भी पेश हुई हैं ।

5. सब रजिस्ट्रार निम्बाहेडा ने अपने पत्र क्रमांक : पंजीयन/91 दिनांक 21.2.9[illegible] से जो दस्तावेज रजिस्ट्री पंजीकृत व्यय वह इस प्रकार बतायें है :-

क्रमसंख्या	पंजीयन दिनांक	खसरा नं.	रकबा	तादादी विक्रय-मूल्य
1.	25-2-88	109	3-15	45,000/-
2.	25-2-88	108/298	0-11	45,000/-
3.	31-3-88	203	5-06	49,000/-
4.	30-4-88	237	6-03 का हिस्सा 1/3 का 1/8	12,000/-
5.	29-11-88	237	हिस्सा 1/3 का 1/8	18,000/-
6.	06-12-88	237	हिस्सा 1/3 का 1/8	20,000/-
7.	10-01-89	237	हिस्सा 1/3 का 1/8	20,000/-
8.	10-01-89	237	हिस्सा 1/3 का 1/8	20,000/-
9.	10-01-89	237	हिस्सा 1/3 का 1/8	20,000/-
10.	01-02-89	110	4-02	40,000/-
11.	18-3-89	241	5-16	90,000/-
12.	02-06-89	238	6-15	1,51,000/-

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

उपरोक्त पंजीकृत दस्तावेजों से 30-4-88 से 10-1-89 तक जो बेची गई भूमि की बाजार दर 47,000/-रू0 से 80,588.00 तक आती हैं ।

6. आवासन मण्डल द्वारा बाजार मूल्य के बारे में निम्न प्रकार से रजिस्ट्रीयां पेश की गई :-

ग्राम	पंजीयन दिनांक	खसरा नं.	रकबा	विक्रयमूल्य	दर

24
सत्यमेव जयते
राजस्थान, जयपुर

1.	2.	3.	4.	5.	6.
ईशाकपुरा	21.6.89	220, 220/ 269	4-02	50,000/-	12195
ईशाकपुरा	30.1.89	110	4-02	40,000/-	9756
ईशाकपुरा	31.3.89	203	5-07	49,000/-	14626

आवासन मण्डल द्वारा जो जवाब पेश किये गये हैं, उसमें 12,195/-रू0 की दर सें मुआवजा देना उचित बताया हैं। आवासन मण्डल द्वारा कम बाजार दर की रजिस्ट्री पेश की गई हैं। आवासन मण्डल द्वारा जो रजिस्ट्रीयाँ पेश की गई हैं उनमें स्पष्ट उल्लेख किया गया हैं कि यह भूमि रोड कें पास नही हैं और आबादी से लगभग 2 किलोमीटर दूर पडती हैं तथा आने जाने का रास्ता मात्र गाडी गढार का ही हैं। और आसपास कोई औद्योगिक ईकाई अथवा सरकारी भवन नहीं हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इस विक्रय शुदा मामलों की भूमि निम्बाहेडा मण्डी से दूर की तथा सडक के आसपास की नही हैं, जाने का रास्ता भी मात्र गाडी गढार का ही हैं। अत: उनमें बताई गयी कीमत बहुत ही कम होने से वर्तमान अवाप्ति अधीन भूमि के लिए लागू नही की जा सकती हैं।

7. खातेदारों द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्रों से बाजार दर 48,000/-रू0 सें 93,000/-रू0 प्रति बीघा तक आती हैं। इस प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया गया और विद्वान वकीलों की बहस भी सुनी गई। खातेदारों की और से वकील श्री के0पी0[illegible] ने अपनी बहस में ए0आई0आर0 1990, पेज-90 राजस्थान तथा ए0आई0आर0 1988, पेज-205 का हवाला देकर सबसें उचें मूल्य की सेल डीड के आधार पर बाजार मूल्य [illegible] किया जाना चाहिए की दलील दी। चाही भूमि की कीमत बारानी से 3 गुणी आनी चाहिए।

8. प्रस्तुत मामलों में धारा 4 की विज्ञप्ति की दिनांक 9.2.1989 को आधार मानते हुए बाजार दर तय की जानी हैं। यह भूमि जे0के0सीमेन्ट फेक्ट्री व [illegible] पास विस्तीर्ण औद्योगिक क्षेत्र के पास आई हुई हैं। निम्बाहेडा की आबादी भी यहाँ से अधिक दूर नहीं हैं तथा चित्तौड, उदयपुर एंव चित्तौड नीमच दो सडकें यहाँ सें गुजरती हैं। भवन निर्माण एंव भावी विकास की सम्भावना को मध्यम नजर रखते हुए वर्ष 1989 से अब तक प्रचलित बाजार दरों के रूख को भी बाजार दर निर्धारित करने के लिए ध्यान मेरखना आवश्यक हैं, अत: मौके की स्थिति के अनुसार पोटैंन्सीयल वेल्यू को आधार मानतें हुए इसका बाजार मूल्य 47,000/-रू0 सिंचित भूमि के लिए तथा 46,000/-रू0 बारानी तथा असींचित भूमि के लिए तय करना उचित हैं।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

9. खसरानं. 237 जो अवाप्ति मे भी हैं मे सें विक्रय की गई 5 बिस्वा की दर भी 30.4.88 सें 10.1.89 तक की अवधि में लगभग 48,000/-रू0 से भी अधिक प्रति बीधा दर से ही रजिस्ट्री हुई हैं। अत: मौके की स्थिति एंव वास्तविक मूल्यों के आधार मानते हुए उपरोक्त दर तय करना उचित प्रतीत होता हैं। कुएँ एंव निर्माण कार्य के लिए मुआवजा निर्धारण कें संबंध में आवासन मण्डल का तखमीना स्वीकार किया जाता हैं किन्तु पेड पौधों की कीमत मौके अनुसार इस प्रकार आंकी जाती हैं :-

...

बबूल-छोटा 50रू., बबूल बडा 150रू., चल छोटा 40रू., यूकेलिप्टस 100 रू., आम छोटा-400रू., आम मध्यम 600रू., जामुन 300रू., नीबूं छोटा 200रू., अमरूद छोटा 100रू., सीताफल छोटा 100रू., बाँस छोटा 50रू., नीम छोटा 100रू., आदि ।

10. वाद संख्या 18/89/26 की खसरानं. 278/222, 244 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा जो सवाई चक सरकारी भूमि का कब्जा आवासन मण्डल को सौंप दिया गया हैं । छोटू खाँ व नाराणी बाई ने इस रकबे के लिए न्यायालय मेंकोई वाद होना जेरकार बताया है राजस्व रिकार्ड में यह भूमि सवाई चक दर्ज हैं तथा इन व्यक्तियों के पास किसी प्रकार का कोई कानूनी हक केदस्तावेज नही होने से इनकी दरखवास्त खारीज की गई । यह भूमि सरकारी होने से इसकी मुआवजा निर्धारण की आवश्यकता नही हैं ।

11. वाद संख्या 18/89/16 में खसरा नं. 233 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा चारभुजा जी स्थल देह ग्राम ईशाकपुरा के नाम की खातेदारी भूमि है इसकें लिए किसी ने भी क्लेम पेश नही किया हैं । आयुक्त देवस्थान विभागद्वारा सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 37 के अनुसार कोषाध्यक्ष के नाते इसका मुआवजा इन्हें देने के लिए निवेदन किया हैं । चूँकि आर.आर.डी. 1991 जनवरी पेज-7, हाईकोर्ट के डिविजन बैंच के दिनांक 13.9.90 के निर्णयनुसार मूर्ति मन्दिर को स्थाई रूप से नाबालिक मानते हुए ऐसी भू-सम्पत्ति पर हिन्दू मान्योटी एंव गार्रजनशिप एक्ट 1956 के प्रावधान के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय की ऐसी भू-सम्पत्ति के निस्तारण के संबंध में निर्णय लेने में सक्षम माना गया हैं । अत: इस निर्णयनुसार इस मन्दिर की भूमि अवाप्ति के मुआवजा की राशि सिविल जज, चित्तौड के न्यायालय में जमा करा दी जावें ।

12. वाद संख्या 18/89/6 खसरा नं. 223 रकबा 20 बीघा रामचन्द्र जी स्थान की भूमि के लिए पुजारी बालकिशनराव, केशवराव, माधवराव, वेंकटेश्वरराव, पितराज, रामचन्द्र राव जी वगैरह ने तथा एक अन्य पक्षकार हातखाँ, हतीमखाँ, पीसरान, भीमराजखाँन, मुराद मेवाती निवासी निम्बाहेडा ने भी एक दरखवास्त पेश की हैं कि 1,00,000/-रू0 प्रति बीघा की कीमत से भूमि का मुआवजा, कुए आदि का मुआवजा क्रमश: 55% रामचन्द्र केशवराव वगैरह का तथा 45% आतखाँ, हतीमखाँ, अजीनखाँ को दिलाया जायें । इस में पुजारियों की तरफ से वकील श्री शारदा ने बहस की कि हाईकोर्ट के निर्णय आर.आर. डी. 1991 जनवरी पेज-6, के अनुसार देवताओं की भूमि जिनमें पुजारी भी दर्ज हैं पर पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959 के प्रावधान लागू नही माने गये है । अत: यह भुगतान पुजारियों को दिलाया जावें । देवस्थान विभाग की और से भी राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट - 1959 की धारा 37 के अनुसार कोषाध्यक्ष होने के नातें आयुक्त देवस्थान विभाग को ही मुआवजा भुगतान किया जानें की दर प्रस्तुत की हैं ।

13. विवाद संख्या 18/89/4 मेंबोरिंग का तकमीना आवासन मण्डल द्वारा नहीं दिया गया था किन्तु खातेदार की और से बिल संख्या 11 दिनांक 13.7.89 स्वास्तिक बोर वेल कम्पनी का पेश करने पर इसकी लागत राशि 17,159 रू0 तकमीनें में शामिल करायें जाकर मुआवजा निर्धारित कराया गया, शेष तकमीना मण्डल के अनुसार स्वीकार किया गया ।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय केप्रकाश में ऐसी देव स्थान की भू-सम्पत्ति पर हिन्दू मान्योटी एंव गार्रजनशिप एक्ट 1956 के प्रावधानानुसार सिविल न्यायालय ही इसे डिस्पोजल करनें व मुआवजा आदि किसे दिया जायेंका निर्णय करनें मे सक्षम हैं ।

अतः मैं यह उचित समझता हूँ कि इस वाद संख्या 18/89/6 की भूमि का मुआवजा सिविल जज, चित्तोड के यहा जमा करवाया जावें एंव उक्त न्यायालय के निर्णयानुसार ही भुगतान किया जावें । धारा 30 केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की दर के साथ मुआवजा राशि उक्त न्यायालय में भेजी जावेंगी ।

अवार्ड में शामिल की जा रही भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

क्रम सं0	वाद संख्या	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा बीघा - बिस्वा
1.	18/89/1	कन्हैयालाल पुत्र परथा केसी वेवा परथा	216 218	6-09 8-05
2.	18/89/2	पूनमचंद पु. कस्तुर चंद	217	5-16
3.	18/89/3	छगनलाल, गंगाराम पु. परथा राहीन भूमि विकास बैंक, शाखा-चित्तौड़, निम्बाहेडा	219	4-12
4.	18/89/4	मैसर्स जे0के0जूट मील लि0सेल्स डिपों, निम्बाहेडा	220 220/269	2-13 1-09 4-02
5.	18/89/5	उदा पु. कालूमाली, राहिन भूमि विकास बैंक, चित्तौड, निम्बाहेडा	221	6-14
6.	18/89/6	रामचन्द्रजी स्थान, निम्बाहेडा, पुजारी बालकिशन, गोविन्दराम, केशवराव, माधवराव, वेकटेश्वरराव पि. रामचन्द्रराव पंडित, निम्बाहेडा	223	20-00
7.	18/89/7	घासी पु. मोडा गादरी ईशाकपुरा, निम्बाहेडा	225	3-15
8.	18/89/8	नाराणी वेवा मांगीलाल, मानमल, हजारी पि. मांगीलाल, हंगामी वेवा भँवरलाल, बबलू पि. भँवरलाल, ना. बा. सं. हंगामी रहन बैंक आँफ बडोंदा, निम्बाहेडा ।	304/224	3-16
9.	18/89/9	बालकिशन, वसुन्धराबाई, वेवा गोविन्दराम, केशुंराम, महावराम, वेकटेश्वर पि. रामचन्द्र	223/268	2-11
10.	18/89/10	श्रीमति भगवानीबाई पत्नी नाथू गाडरी ।	225 226 236	3-18 3-08 4-13 11-[illegible]

विशेषाधिकारी
ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग
राजस्थान, जयपुर

37

11.	18/89/11	गुलाब चन्द पि. मांगीलाल तेली	227	6-05
12.	18/89/12	रामचन्द्र, गुलाबचंद पि. मांगीलाल- तेली	228	6-03
13.	18/89/13	रामचन्द्र, गुलाबचंद पि. मांगीलाल	239	9-09
			240	3-19
				13-08
14.	18/89/14	दौलतराम, छगनलाल, राजन्द्रकुमार, डालचंद, शान्तिलाल, मदनलाल पि. मगनीराम व हंगामीबाई, कैलाशबाई, लीला पि. मगनीराम, श्रीमति जानीबाई बेवा मगनीराम 1/2, ललिता प्रसाद, अशोककुमार, मनोहरलाल, महीपाल, कंवरलाल, शम्भूलाल, सु. संतोष, सुनिता, अनिता पि. हीरालाल श्रीमति मोतीबाई, बेवा हीरालाल 1/2.	229 230 231	4-12 2-16 3-04 10-12
15.	18/89/15	मोहनलाल, पु. जगल्याँ, कन्हैयालाल पु. परथा, व केशी बेवा परथा।	232	3-02
16.	18/89/16	खाखँलदेव जी स्थान देह खुदकाश्त	233	4-11
17.	18/89/17	हजारी लाल पु. गंगाराम जाट	234	10-05
18.	18/89/18	लोभचंद्र, खेमराज, पि. चैनराम 1/3, डालचंद, गीता, जानी पि. भागीरथ सु. रामी बेवा भागीरथ 1/3, हीरालाल पि. किसना 1/3.	235	3-1[illegible]
19.	18/89/19	नारायण, उदा पि. मोडा 4/9, हि. ब. मांगीलाल, राजाराम, सुरजमल पि. सोला, सु. बादामी बेवा सोला ना. बा. स. पेसु बादामी बेवा सोला माता खुद 2/9, संतराबाई पत्नी छोगालाल, मकबूल अहमदखाँ पि. अब्दूल रसीद, नुसरतुल्लाखाँ पि. अमान-उल्लाखाँ, दिनेशचन्द्र पि. भँवरलाल, आनन्दीलाल पि. अंबालाल, अलानूर पि. मोहम्मद इब्राहम, श्रीमति निशाजहाँ पत्नि - अब्दूल हलीमखाँ, सु. रूमानाखाँन पुत्री अब्दूल हलीमखाँ, नां. बा. सं. पिता अब्दूल हलीमखाँ, सु. सागरबाई पत्नि राधेश्याम, श्रीमति जाहिदा बैगम पत्नी मुसाखाँ, जफरूल्लाखाँ पि. रहमत उल्लाखाँ, मोहम्मद हनीफ नि. मो0शफीखाँ, मों0आसिफ पि. मो. आरीफखाँ, श्रीमति मनोहरकुमार पत्नी प्रमोदकुमार, पवन कुमार पि. प्रमोद कुमार, श्रीमति तुलसीदेवी पत्नी रामचन्द्र, नासिरखाँ पि. कालूखाँ, नटवरलाल पि. भंवरलाल, गयारसीबाई पत्नी गौरीलाल, श्रीमति शाहिस्ताखाँनम् पत्नी ख्वाजा-उद्दीन, मोहम्मद [illegible] पि. हाजी मोहम्मद[illegible]खाँ	237	6-03

विशेषाधिकारी
[illegible] विभाग
राजस्थान, जयपुर

38

20.	18/89/20	रामा पि. भैंरा गाडरी	238/275	1-16
21.	18/89/21	किशनलाल पि. हीरालाल, देवीलाल पि. नारायण, मदनलाल मोहनलाल, पन्नालाल, पि. नोला मेधवाल, शान्तिलाल पु. नारायण लाल बलाई, प्रभुलाल पि. पन्ना लाल, भंवरलाल पि. मांगीलाल, देवीलाल पि. ऊकार, मांगीलाल पि. धन्ना, अम्बालाल पि. अकार, कैलाश पि. पैमा, हजारी लाल पि. मांगीलाल, रतनलाल पि. धन्ना नायक, सुरजमल पि. औंकार नायक।	238/277	7-15
22.	18/89/26	सिवानाम सरकारी भूमि चक, ईशाकपुरा, निम्बाहेडा	278/222 244	5-00 0-18
				5-18

खातेदारों को दिये जाने वाले मुआवजे के लिए अवार्ड की गणना इस प्रकार की जाती हैं :-

वाद संख्या :- 18/89/1
खातेदार का नाम : कन्हैयालाल पुत्र परथा व केली बेवा परथा।

		राशि
	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा ग्राम ईशाकपुरा भूमि की दर 47,000/-रू. प्रति बीघा	6,90,900.00
2.	पेड, पौधे, टोला, कुआँ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	53,598.10
3.	योग (1 + 2)	7,44,498.10
4.	धारा 23(1)(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दि. 9.2.89 से 26.12.89 तक = (कुल 320 दिन)	78,325.27
5.	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	2,23,349.43
6.	योग = (1 + 2 + 3)	10,46,172.80
7.	दिनांक........को भुगतान प्राप्त राशि (80%)	-
8.	.........शेष भुगतान योग्य राशि	10,46,172.80
9.	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दि. 27.12.89 से 26.12.90 तक	94,155.55
10.	दि. 26.12.90 तक भुगतान योग्य राशि	11,40,328.35

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

नोट:- रू० 10,46,179.80 पर दिनांक 27.12.90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल के द्वारा भुगतान के समय पर की जावेगी।

.....

39

वाद संख्या :- 18/89/2
खातेदार का नाम: पूनमचन्द पिता कस्तूर चन्द तेली ।

		राशि
1.	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा ग्राम ईशाकपुरा भूमि की दर 47,000/- रू0 प्रति बीघा	2,72,600.00
2.	पेड, पौधे, डोला, कुआँ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	34,816.47
3.	योग (1 + 2)	3,07,416.47
4.	धारा 23(1)(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दि. 9.2.89 सें 26.12.89 तक (कुल 320 दिन)	32,341.89
5.	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	92,224.94
6.	योग (1 + 2 + 3)	4,31,983.30
7.	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर सें ब्याज दि. 27.12.89 से दि. 26.12.90 तक	38,878.49
8.	दि. 26.12.89 तक भुगतान योग्य राशि	4,70,861.79

नोट:- रू0 4,31,983.30 पर दिनांक 27.12.89 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देना होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान की समय पर की जावेगी ।

वाद संख्या :- 18/89/3
नाम खातेदार :- छगनलाल व गंगाराम पि. परथा अहीर राहिन भूमि विकास बैंक शाखा-चित्तौड, निम्बाहेडा ।

38

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

		राशि
1.	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा ग्राम ईशाकपुरा भूमि की दर 48,000/- रू0 प्रति बीघा	2,16,200.00
2.	पेड, पौधे, डोला, कुआँ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	32,424.14
3.	योग (1 + 2)	2,48,624.14
4.	धारा 23(1)(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 9.2.89 सें 26.12.89 तक (कुल 320 दिन)	26,156,62
5.	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	74,587.24
6.	योग (1 + 2 + 3)	3,49,368.00

......10/

7. कब्जा प्राप्त करनें की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दि. 27.12.89 से 26.12.90 = 365 दिन — 31,443.12

8. दिनांक 26.12.90 तक भुगतान योग्य राशि — 3,80,811.12

नोट:- रू0 3,49,368.00 पर दिनांक 27.12.90 से भुगतान की तिथि तक 9% की दर से ब्याज देय होगा जिसी गणना मण्डल के द्वारा भुगतान के समय पर की जावेंगी ।

वाद सख्या :- 18/89/4

नाम खातेदार :- मैसर्स जे0के0 जूट मील सैल्स डिपों, निम्बाहेडा ।

==

	राशि
1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा ग्राम ईशाकपुरा भूमि की दर 46,000/-रू0प्रति बीघा	1,88,600.00
2. पेड, पौधें, डोला, कुआँ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	36,328.39
3. योग (1 + 2)	2,24,928.39
4. धारा 27(1)(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दि. 9.2.89 से 26.12.89 तक (कुल 320 दिन)	23,663.69
5. धोरा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनीवार्य अवाप्ति राशि	67,478.51
6. योग (1 + 2 + 3)	3,16,070.59
7. कब्जा प्राप्त करनें की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दि. 27.12.89 से 26.12.90 = 365 दिन	28,446.35
8. दिनांक 26.12.90 तक भुगतान योग्य राशि	3,44,516.94

नोट:- रू0 3,16,070.59 पर दिनांक 27.12.90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल के द्वारा भुगतान के समय की जावेंगी।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद सख्या :- 18/89/5

नाम खातेदार: उदा पि. कालू माली राहिन भूमि विकास बैंक-चित्तौड, निम्बाहेडा ।

==

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा ग्राम ईशाकपुरा भूमि की दर 47,000/-रू0 प्रति बीघा ।	3,14,900.00
2. पेड, पौधे, डोला कुआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	67,204.16

3.	योग ॥ 1 + 2 ॥	3,82,104.16
4.	धारा 23॥1॥॥ए॥ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 9.2.89 से 26.12.89 तक ॥कुल 320 दिन॥	40,199.44
5.	धारा 23॥2॥ के अन्तर्गत अनिवार्य अवाप्ति राशि	1,14,631.24
6.	योग ॥ 1 + 2 + 3 ॥	5,36,934.84
7.	कब्जा प्राप्त करनें की तिथि सें एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दि. 27.12.89 से 26.12.90	48,324.13
8.	दिनांक 26.12.90 तक भुगतान योग्य राशि	5,85,258.97

नोट:- रू0 5,36,934.84 पर दिनांक 27.12.90 से भुगतान की तिथि तक 15% की की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय पर की जावेंगी ।

वाद संख्या:- 18/89/6

नाम खातेदार :- श्री रामचन्द्रजी स्थान, पुजारी लालकिशन, गोविन्दराम, केशवराव, माधव राव, वैंकटेश्वरराव पि. रामचन्द्रराव पंडित, निम्बाहेडा ।

		राशि
1.	भूमि की कीमत अन्तर्गत 23॥1॥ केरक्बा 20-बीघा ग्राम ईशाक्पुरा भूमि की दर 47,000/-रू0 प्रति बीघा ।	9,40,000.00
2.	पेड, पौधे, डोला, कुआँ व अन्य निर्माण का तकमीनामण्डल के अनुसार	39,277.94
3.	योग ॥ 1 + 2 ॥	6,79,277.94
4.	धारा 23॥1॥॥ए॥ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दि. 9.2.89 से 26.12.89 तक = ॥कुल 320 दिन ॥	1,03,025.40
5.	धारा 23॥2॥ के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	2,93,783.38
6.	योग ॥ 1 + 2 + 3 ॥	13,76,086.72
7.	कब्जा प्राप्त करनें की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दि. 27.12.89 से 26.12.90	1,23,847.80
8.	दिनांक 26.12.90 तक भुगतान योग्य राशि	14,99,934.52

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
राजस्थान, जयपुर

नोट:- रू0 13,76,086.72 पर दिनांक 27.12.90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल के द्वारा भुगतान के समय की जावेंगी । इसकें बैंक की राशि सिविल जज, चित्तौड को भेजी जावेंगी ।

...

42 जिलाधिकारी राष्ट्रीय विकास एवं ... सत्यमेव जयते राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या :- 18/89/7
नाम खातेदार :- धासी पुत्र मोडा गाडरी ।
=================================

1.	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23॥1॥ रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा ग्राम ईशाकपुरा भूमि की दर 47,000/-रू0 प्रति बीघा	1,76,250.00
2.	पेड़,पौधे, डोला कुआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	450.00
3.	योग ॥ 1 + 2 ॥	1,76,700.00
4.	धारा 23॥1॥॥ए॥ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 9.2.89 से 26.12.89 तक कुल दिन	18,589.80
5.	धारा 23॥2॥ के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	53,010.00
6.	योग ॥ 1 + 2 + 3 ॥	2,48,299.80
7.	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 27.12.89 से दिनांक 26.12.90	22,346.98
8.	दिनांक 26.12.90 तक भुगतान योग्य राशि	2,70,646.78

नोट:- रू0 2,48,299.80 पर दिनांक 27.12.90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल के द्वारा भुगतान के समय पर की जावेगी ।

वाद संख्या :- 18/89/8
नाम खातेदार :-नाराणी बेवा मांगीलाल, मानमल, हजारी पि. मांगीलाल, हंगामी बेवा भंवरलाल, बबलू पि. भंवरलाल, नाबालिक सरंक्षक हंगामी ।
===

1.	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23॥1॥ रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा ग्राम ईशाकपुरा भूमि की दर 47,000/-रू0 प्रति बीघा ।	1,78,600.00
2.	पेड़, पौधे, डोला, कुआँ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	27,521.62
3.	योग ॥ 1 + 2 ॥	2,06,121.62
4.	धारा 23॥1॥॥ए॥ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दि. 9.2.89 से 26.12.89 तक ॥ कुल 320 दिन ॥	21,685.12
5.	धारा 23॥2॥ के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	61,836.48
6.	योग ॥ 1 + 2 + 3 ॥	2,89,642.22

विशेषाधिकारी राष्ट्रीय विकास एवं आवासन मण्डल राजस्थान, जयपुर

43

7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दि. 27.12.89 से 26.12.90 — 26,067.88

8. दिनांक 26.12.90 तक भुगतान योग्य राशि — 3,15,711.10

नोट:- रू0 2,89,643.22 पर दिनांक 27.12.90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय पर की जावें गी ।

वाद संख्या:- 18/89/9

नामखातेदार :- बालकिशनराव, वसुन्धराबाई, बेवा गोविन्दराम, केशुराव, माधवराव, वेंकटेश्वरराव पि. रामचन्द्र राव ।

1.	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा 2 बीघा बिस्वा 11 ग्राम ईशाकपुरा भूमि की दर 47,000/-रू0 प्रति बिघा ।	1,19,850.00
2.	पेड, पोधे, डोला, कुआँ व अन्य निर्माण का तखमीना मण्डल के अनुसार	-
3.	योग (1 + 2)	1,19,850.00
4.	धारा 23(1)(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 9.2.89 से 26.12.89 तक कुल (320 दिन)	12,608.87
5.	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	35,955.00
6.	योग (1 + 2 + 3)	1,68,413.87
7.	कब्जा प्राप्त करनें की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर सें ब्याज दि. 27.12.89 से 26.12.90	15,157.24
8.	दिनांक 26.12.90 तक भुगतान योग्य राशि	1,83,571.11

नोट:- रू0 1,68,413.87 पर दिनांक 27.12.90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय पर की जावेंगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या :- 18/89/10

नामखातेदार :- श्रीमति भगवानी बाई पत्नी नाथू गाडरी ।

		राशि
1.	भूमि की कीमत अन्तर्गत 23(1) रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा ग्राम ईशाकपुरा भूमि की दर 47,000/-रू0 प्रति बीघा	5,61,650.00
2.	पेड, पोधे, डोला, कुआ व अन्य निर्माण का तखमीना मण्डल के अनुसार	39,098.33

44

3.	योग ॥ 1 + 2 ॥	6,00,748.33
4.	धारा 23॥1॥॥ए॥ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 9.2.89 से 26.12.89 तक कुल 320 दिन ॥	63,202,01
5.	धारा 23॥2॥ के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	1,80,224.49
6.	योग ॥ 1 + 2 + 3 ॥	8,44,174.83
7.	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दि. 27.12.89 से 26.12.90	75,975.56
8.	दिनांक 26.12.90 तक भुगतान योग्य राशि	9,20,150.56

नोट:- रू0 8,44,174.83 पर दिनांक 27.12.90 से भुगतान की तिथि तक 15% की की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल के द्वारा भुगतान के समय पर की जावें गी ।

वाद संख्या:- 10/89/11
नाम खातेदार :- गुलाबचन्द पुत्र मांगीलाल तेली ।

		राशि
1.	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23॥1॥ रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा ग्राम इशाकपुरा भूमि की दर 47,000/-रू0 प्रति बीघा ॥	2,93,750.00
2.	पेड, पौधे, डोला, कुआं व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	500.00
3.	योग ॥ 1 + 2 ॥	2,94,250.00
4.	धारा 23॥1॥॥ए॥ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दि. 9.12.89 से 26.12.89 तक ॥ कुल 320 दिन ॥	30,956.71
5.	धारा 23॥2॥ के अन्तर्गत अनिवार्य 30% अवाप्ति राशि	88,275.00
6.	योग ॥ 1 + 2 + 3 ॥	4,13,481.71
7.	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दि. 27.12.89 से 26.12.90	37,213.35
8.	दिनांक 26.12.90 तक भुगतान योग्य राशि	4,50,695.06

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

नोट:- रू0 4,13,481.71 पर दिनांक 27.12.90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय पर की जावेंगी ।

.....15/-

वाद संख्या :- 18/89/12
नाम खातेदार :- रामचन्द्र, गुलाबचन्द पुत्री मांगीलाल ।

1.	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23ऽ1ऽ रकबा 6 बीघा 03 बिस्वा ग्राम ईशाकपुरा भूमि की दर 47,000/-रू0 प्रति बीघा ।	2,89,050.00
2.	पेड, पौधें, डोला, कुआँ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	6,161.08
3.	योग ऽ 1 + 2 ऽ	2,95,211.08
4.	धारा 23ऽ1ऽऽएऽ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर सें दिनांक 9.2.89 से 26.12.89 तक ऽ कुल 320 दिन ऽ	31,057.82
5.	धारा 23ऽ2ऽ के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	88,563.32
6.	योग ऽ 1 + 2 + 3 ऽ	4,14,832.22
7.	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दि. 27.12.89 से 26.12.90	37,334.89
8.	दिनांक 26.12.90 तक भुगतान योग्य राशि	4,52,167.11

नोट:- रू0 4,14,832.22 पर दिनांक 27.12.90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय पर की जावेगी ।

वाद संख्या :- 13
नाम खातेदार :-रामचन्द्र , गुलाबचन्द्र पुत्र मांगीलाल ।

		राशि
1.	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23ऽ1ऽ रकबा 13 बीघा 08 बिस्वा ग्राम ईशाकपुरा भूमि की दर 47,000/-रू0प्रति बीघा ।	6,29,800.00
2.	पेड, पौधें, डोला, कुआँ अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	60,004.31
3.	योग ऽ 1 + 2 ऽ	6,89,804.31
4.	धारा 23ऽ1ऽऽएऽ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दि. 9.2.89 सें 26.12.89 तक ऽ कुल 320 दिन ऽ	72,571.19
5.	धारा 23ऽ2ऽ के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	2,06,941.29
6.	योग ऽ 1 + 2 + 3 ऽ	9,69,391.79
7.	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर सें ब्याज दि. 27.12.89 से 26.12.90	87,245.26

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
राजस्थान, जयपुर

....

3.	योग ॥ 1 + 2 ॥	1,46,150.00
4	धारा 23॥1॥॥ए॥ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 9.2.89 से 26.12.89 तक कुल ॥ 320 दिन ॥	15,375.78
5.	धारा 23॥2॥ के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	43,845.00
6.	योग ॥ 1 + 2 + 3 ॥	2,05,370,78
7.	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज देय होगा दि. 27.12.89 से 26.12.90	18,483.37
8.	दिनांक 26.12.90 तक भुगतान योग्य राशि	2,23,854.15

नोट:- रू0 2,05,370.78 पर दिनांक 27.12.90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय पर कि जावेगी ।

वाद संख्या :- 18/89/16
नाम खातेदार :- साँवला देव जी स्थान देह खुद काश्त ।

==

		मुआवजा राशि
1.	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23॥1॥ रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा ग्राम ईशाकपुरा भूमि की दर 47,000/-रू0 प्रति बीघा ।	2,13,850.00
2.	पेड, पौधे, डोला, कुआ व अन्य निर्माण कातकमीना मण्डल के अनुसार	--
3.	योग ॥ 1 + 2 ॥	2,13,850.00
4.	धारा 23॥1॥॥ए॥ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 9.2.89 से 26.12.89 तक कुल ॥ 320 दिन ॥	22,498.19
5.	धारा 23॥2॥ के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	64,155.19
6.	योग ॥ 1 + 2 + 3 ॥	3,00,503.19
7.	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दि. 27.12.89 से 26.12.90	27,045.28
8.	दिनांक 26.12.90 तक भुगतान योग्य राशि	3,27,548.47

विशेषाधिकारी
राजस्थान, जयपुर

नोट:- रू0 3,00,503.19 पर दिनांक 27.12.90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय पर की जावेगी इसके चैक की राशि सिविल जज, चित्तौड को भेजी जावेंगी ।

वाद संख्या 18/89/17

नाम खातेदार :- हजारी लाल पुत्र गंगाराम जाट ।

		राशि
1.	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा 10 बीघा-05 बिस्वा ग्राम ईशाकपुरा भूमी की दर से 47,000/-रू0 प्रति बीघा ।	4,81,750.00
2.	पेड़, पौधे, डोला, कुआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	18,220.73
3.	योग (1 + 2)	4,99,970.73
4.	धारा 23(1)(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 9.2.89 से 26.12.89 तक (कुल 320 दिन)	52,599.65
5.	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	1,49,991.21
6.	योग = (1 + 2 + 3)	7,02,561.59
7.	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दि. 27.12.89 से 26.12.90 तक	63,230.54
8.	दिनांक 26.12.90 तक भुगतान योग्य राशि	7,65,792.13

नोट:- रू0 7,02,561.59 पर दिनांक 27.12.90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल के , भुगतान के समय पर की जायेगी ।

वाद संख्या :- 18/89/18

नाम खातेदार :- लोभचंद्र, खेमराज, पि. चैनराम 1/3, डालचन्द, गीता, जानी पि. भागीरथ मु. रानी बेवा भागीरथ 1/3, हीरालाल पि. किसना 1/3.

		राशि
1.	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा 3 बीघा-18 बिस्वा ग्राम ईशाकपुरा भूमि की दर 47,000/-रू0 प्रति बीघा	1,83,300.00
2.	पेड़, पौधे, डोला, कुआँ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	750.00
3.	योग = (1 + 2)	1,84,050.00
4.	धारा 23(1)(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 9.2.89 से 26.12.89 तक (कुल दिन)	18,363.06
5.	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	55,215.00
6.	योग = (1 + 2 + 3)	2,58,628.06

विशेषाधिकारी
विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

.....19/-

7.	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दि. 27.12.89 से 26.12.90	23,276.52
8.	दिनांक 26.12.90 तक भुगतान योग्य राशि	2,81,904.58

9. नोट:- रू0 2,58,628.06 पर दिनांक 27.12.90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

वाद सख्या :- 18/89/19

नाम खातेदार :- नारायण, उदा पि. मोडा 4/9, हि.ब. मांगीलाल, राजाराम, सूरजमल, पि. मोला, मु. बादामी बेवा मोला ना.बा.सं. पेमु बादामी बेवा मोला माता खुदा 2/9, संतरोबाई पत्नी छोगालाल, मकबूलअहमदखाँ पि. अब्दूल रसीदखाँ, जब्बार अहमदखाँ पि. अब्दूल रसीद, नुसरतुल्लाखाँ पि. अमानउल्लाखाँ, दिनेशचन्द्र पि. भंवरलाल, आनन्दीलाल पि. अम्बालाल, अलानूर पि. मो0इब्राहम, श्रीमति निशाजहाँ पत्निअबदूल हलीमखाँ, रूमानाखाँन पुत्री अब्दूल हलीमखाँ, ना.बा.सं. पिता अब्दूल हलीमखाँ, मु. सांगरबाई पत्नी राधेश्याम, श्रीमति जाहिदाबेगम पत्नी नुराखाँ, जफरूल्लाखाँ पि. रहमतउल्लखाँ, मोहम्मद हनीफ पि. मो0शफीखाँ, मों0 आरिफ पि. मों0आरीफखाँ, श्रीमति मनोहरकुमार पत्नी प्रमोदकुमार पवनकुमार पि. प्रमोदकुमार, श्रीमति तुलसीदेवी पत्नी रामचन्द्र, नासिर खाँ पि. कालूखाँ, नटवरलाल पि. भँवरलाल, ग्यारसीबाई पत्नी गौरी लाल, श्रीमति शाहिस्ताखाँनम पत्नी ख्वाजाबुद्दीन, मो0जाकीर पि. हाजी मो0वजीरखाँ, भगवानदास पि. पमनदास सिन्धी, रामरथलाल पि. भवरलाल बावेल, हिस्सा 1/3.

===

		राशि
1.	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा 6 बीघा 03 बिस्वा ग्राम ईशाकपुरा भूमि की दर 47,000/-रू0 प्रति बीघा	2,89,050.00
2.	पेड, पौधे, डोलमा, कुआ व अन्य निर्माण का तखमीना मण्डल के अनुसार	11,287.74
3.	योग = (1 + 2)	3,00,337.74
4.	धारा 23(1)(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशिवार्षिक दर से दिनांक 9.2.89 से 26.12.89 तक (कुल 320 दिन)	31,597.17
5.	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	90,101.32
6.	योग = (1 + 2 + 3)	4,22,036.23
7.	कब्जा प्राप्त करनें की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर सें ब्याज दि. 27.12.89 सें 26.12.90.	37,983.26
8.	दिनांक 26.12.90 तक भुगतान योग्य राशि	4,60,019.49

नोट:- रू0 4,22,036.23 पर दिनांक 27.12.90 से भुगातन की तिथि तक 15% की की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय पर

उपखण्डाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

......20/-

जावेंगी तथा ब्याज को हिस्से अनुसार खातेदारों को भुगतान किया जावें। खातेदारों को चैक उनकें हिस्सेंअनुसार मण्डल द्वारा बनाकर भुगतान किया जावेंगा। प्रत्येक खातेदार कों आपनें हिस्सेंअनुसार मुआवजा का भुगतान इस प्रकार किया जावेंगा :-

खातेदार का नाम:- नारायण, उदा, पि. मोडा 4/9 = 2,04,453.11

हि.ब. मांगीलाल, राजाराम, सुरजमल पि. तोला मु. बादामी बेवा तोला ना.बा.सं. पेमु बादामी बेवा तोला माता खुद- 2/9. = 1,02,226.53

हि.ब. संतराबाई पत्नी छोगालाल, मकबूलअहमदखाँ पि. अब्दूल रसीदखाँ, जब्बार अहमदखाँ पि. अब्दूल रसीद, नुसरतुल्लाखाँ पि. अमानउल्लाखाँ, दिनेशचन्द्र पि. भंवरलाल, श्री आन्नदीलाल पि. अम्बालाल, अल्लानूर पि. मों. इब्राहम, श्रीमति निशाजहाँ पत्नी अब्दूल हलीमखाँ, रूमानाजाँन पुत्री अब्दूल हलीमखाँ, ना.बा.सं. पि. अब्दूल हलीमखाँ, मु. सागरबाई पत्नी राधेश्याम, श्रीमति जाहिदाबेगम पत्नी मुस्ताखाँ, जफरूल्लाखाँन पि. रहमतउल्लाखाँ, मो0हनीफ पि. मो. शफीखाँ, मो0आसिफ पि. मो0आरीफखाँ, श्रीमति मनोहरकुमार पत्नी प्रमोदकुमार, पवनकुमार पि. प्रमोदकुमार, श्रीमति तुलसीदेवी पत्नी रामचन्द्र, नासीरखाँ पि. कालूखाँ, नटवरलाल पि. भॅवरलाल, ग्यारसीबाई पत्नी गौरीलाल, श्रीमति शाहिस्ताखाँनम पत्नी ख्वाजाबुद्दीन, मो0जाकीर, पि. हाजी मो0वजीरखाँ, भगवानदास पि. पमनदास सिन्धी, समरथलाल पि. भंवरलाल बाचेल हिस्सा 1/3. = 1,53,339.83

कुल योग= 4,60,019.49

खातेदारों को उनकें हिस्सेंअनुसार मण्डल द्वारा अलग-अलग चैक बनाकर भुगतान किया जावेगा।

वाद संख्या :- 18/89/20
नाम खातेदार :- रामा पि. भैरा गाडरी।

		राशि
1.	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23[1] रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा ग्राम ईशाकपुरा भूमि की दर 47,000/-रू0 प्रति बीघा।	84,600.00
2.	पेड, पौधे, डोला, कुआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	700.00
3.	योग = [1 + 2]	85,300.00
4.	धारा 23[1][ए] के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दि. 9.2.89 से 26.12.89 तक कुल [320 दिन]	89,740.02

......

26
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

5.	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	25,590.00
6.	योग = (1 + 2 + 2)	1,19,864.02
7.	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दि. 27.12.89 से 26.12.90	10,787.76
8.	दिनांक 26.12.90 को भुगतान योग्य राशि	1,30,651.78

नोट:- रू0 1,19,864.02 पर दिनांक 27.12.90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय पर की जायेंगी ।

वाद संख्या :- 18/89/21

खास खातेदार :- किशनलाल पि. हीरालाल, देवीलाल, पि. नारायण, मोहनलाल, मदनलाल पन्नालाल पि. नोला मेघवाल, शान्तिलाल पु0 नारायणलालझलाई, प्रभुलाल पि. पन्नालाल, भंवरलाल पि. मांगीलाल, देवीलाल पु. ऊकार, गांगीलाल पि. धन्ना, अम्बालाल पि. ऊकार, कैलाश पि. पैमा, हजारी लाल पि. मांगीलाल, रतनलाल पि. धन्ना नायक, सुरजमल पि. ओंकार नायक ।

		राशि
1.	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा ग्राम ईशाकपुरा भूमि की दर 46,000/-रू0 प्रति बीघा ।	3,56,500.00
2.	पेड़, पौधे, डोला, कुआँ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	13,762.83
3.	योग = (1 + 2)	3,70,262.83
4.	धारा 23(1)(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 9 .12.88 से 26.12.89 तक कुल = 320 दिन	38,953.67
5.	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	1,11,078.84
6.	योग = (1 + 2 + 3)	5,20,295.34
7.	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दि. 27.12.89 से दि. 26.12.90	46,826.58
8.	दिनांक 26.12.90 को भुगतान योग्य राशि	5,67,121.92

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

नोट:- रू0 5,20,295.34 पर दिनांक 27.12.90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा, जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय परकी जायेंगी ।

//-किशोर चन्द-//

.......22/-

उपरोक्त अवार्ड राजस्थान सरकार नगरीय विकास एंव आवासन विभाग के पत्र क्रमांक : प07/4/नविआ/3/86 जयपुर दिनांक 20-6-91 के द्वारा अनुमोदित किया जाकर राज्य सरकार द्वारा पुष्टि कर दी गयी हैं । अतः आज दिनांक 28.6.91 को भूमि के मुआवजें का अवार्ड उपरोक्तानुसार घोषित किया जाता हैं । अधिनियम की धारा ।2।।। के अनुसार अवार्ड सभी पत्रावलियों में शामिल फाईल किया जाकर धारा ।2।2। के अन्तर्गत सम्बन्धित खातेदारान् कों अवार्ड की प्रति सहित नोटिस भेज कर सूचित किया जावें तथा प्रति लिपि शासन सचिव, नगरीय विकास एंव आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर, सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर व तहसीलदार निम्बाहेड़ा को भी भेजी जावें ।

अवार्ड सरे इजलास घोषित किया गया तथा मेरें हस्ताक्षर एवम् इस न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 28.6.91 को जारी किया गया ।

विशेषाधिकारी,
नगरीय विकास एंव आवासन विभाग,
राज0जयपुर ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एंवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. श्रीमान् शासन सचिव, नगरीय विकास एंव आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भुगतान करने हेतु ।
3. तहसीलदार, तहसील कार्यालय- निम्बाहेडा ।
4. सम्बन्धित खातेदार श्री.................................. ।

विशेषाधिकारी,
नगरीय विकास एंव आवासन विभाग,
राज0जयपुर ।

//-किशोर चन्द -//